APPENDIX-TWO

FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENFMENT) RULES, 2013

Email : ceonainital11@gmail.com

Phone Number : 05942-248469

Fax Number : 05942-248469

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER NAINITAL, Uttarakhand

Letter No : 9300-9301

Dated : 09/09/2022

To,

The Manager
EMMANUEL PUBLIC SCHOOL
ROOP NAGAR GATE, MUKHANI
DISTT- NAINITAL,
Pin : 263139

Sub: Regarding issue of compliance of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17 (A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 25-06-2022. I Convey the compliance certificate for prescribrd norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19 (2) of the Act to your school **EMMANUEL PUBLIC SCHOOL, ROOP NAGAR GATE, MUKHANI, Distt- NAINITAL**, Pin : 263139. The registration number of Your school is **RTE- 45635** in District Nainital This registration/recognition is for the period **from 21-06-2022 to 20-06-2027 class I to** Class VIII in English medium. If prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future, then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules, 2011

Chief Education Officer
District Nainital
Uttarakhand

Copy : Depty Education officer Haldwani for necessary action.

Self Attested.

Manager
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

Principal
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

8/9/22
Chief Education Officer
District Nainital

VIRENDRA KUMAR
Digitally signed by VIRENDRA KUMAR
Date: 2023.07.04 19:12:38 +05'30'

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल

पत्रॉक संख्या/ 11565-67/आग्ल भाषा मान्यता नवीनीकरण/2016–17 दिनांक 31 मार्च 2017

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,
इम्मैलुएल एजुकेशनल सोसायटी हीरानगर
हल्द्वानी नैनीताल।

विषयः– नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 के उप नियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 5–12–2016 और उनके कम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल के पत्रॉक/9020/मान्यता/2016–17 दिनांक 10–1–2017 द्वारा किये गये निरीक्षण के आलोक में एवं आपके विद्यालय को पूर्व में इस कार्यालय के पत्रॉक/वैय0अ0/1830–31/मान्यता/2014–15 दिनाक 21जून 2014 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु 3 (तीन वर्ष)दिनांक 21–6–2014 से 21–6–2017 तक की अवधि के लिए औपबन्धित, मान्यता की स्वीकृति प्रदान की गई थी। को दिनांक 21–6–2017से 20–6–2022तक 5(पॉचवर्ष) हेतु नवीनीकृत किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मान्यता की शर्ते इस कार्यालय के पत्रॉक/वैय0अ0/1830–31/मान्यता / 2014–15 दिनांक 21जून 2014 द्वारा दी गई मान्यता के अधीन एवं परिशिष्ट–चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तो के रूप में रहेगी।

भवदीय,
31/3/2017
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ0स0/ /आग्ल भाषा मान्यता/2016–17 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

Manager
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

Principal
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल

पत्रांक:बे0अ0/ [illegible] / मान्यता/2014–15 दिनांक 21 जून 2014

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,
इम्मैनुएल एजुकेशनल सोसायटी हीरानगर हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषय:– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 1–4–2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी द्वारा विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय– इम्मैनुएल एजुकेशनल सोसायटी हीरानगर हल्द्वानी (नैनीताल)को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु (तीन वर्ष)दिनांक 21–6–2014 से 21–6–2017 तक अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा–8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे–

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;

(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;

Manager
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

Principal
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

छाया प्रति सत्यापित

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
नैनीताल

(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 3 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;

(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और

(आठ) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा–

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल के मैदान का क्षेत्र;
- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या; 14
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष; 04 हैं
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय; है
- पेयजल की सुविधा; है
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर;
- बाधा रहित पहुँच;
- शिक्षण अधिगम सामग्री / खेलकूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन / संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

छाया प्रति सत्यापित

16/10/15

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०)
नैनीताल

Manager
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

Principal
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या– 44 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. राज्य सरकार / मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. **परिशिष्ट–चार** के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल

पृ0स0 / वैय0अ0 / 1830-31 / 2014–15 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नाकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल

छायाप्रति सत्यापित

16/10/15
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
नैनीताल

Manager
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)

Principal
Emmanuel Public School
Roopnagar Mukhani
Haldwani (Nainital)